रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 571] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 1985/पौष 9, 1907
No. 571] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 1985/PAUSA 9, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1985

अधिसूचना

सा.का.नि. 953(अ) :—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधन (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1985 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1978 में, नियम 11 के उपनियम (1) के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति उसे लागू सुसंगत नियमों के अधीन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, उपर्युक्त खंड में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि पूरी कर लेने के पश्चात्, एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाला है तो ऐसा व्यक्ति उक्त नियम के अधीन अपनी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख तक पद पर बना रहेगा ।"

[सं. 11/85(फा. सं. 22/16/85-एफ.आईसी)]

एन. राजा, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 31st December, 1985

NOTIFICATION

G.S.R. 953(E).—In exercise of the powers conferred by Section 26 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Appellate Tribunal for Forfeited

Property (Conditions of service of Chairman and Members) Rules, 1978, namely:—

1. (1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of service of Chairman and Members) Amendment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of service of Chairman and Members) Rules, 1978, after clause (b) of sub-rule (1) of rule 11, the following clause shall be inserted, namely :—

"(c) Notwithstanding anything contained in clause (b), where a person appointed as Chairman is due to retire on attaining the age of superannuation under the relevant rules applicable to him within a period of one year after completion of the period of three years referred to in that clause, such person shall continue to hold office as Chairman till the date of his superannuation under the said rules."

[No. 11/85(F. No. 22/16/85-Ad. IC)]

N. RAJA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986